न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

मुकदमा सं0: 199 / 2019 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. बाबूलाल पुत्र भोंरी लाल उर्फ भोंरया
2. रमेश पुत्र भोरीलाल उर्फ भोंरया
3. कमलेश पुत्र रामफूल पौत्र भोंरी लाल उर्फ भोंरया

समस्त जाति मीना निवासी अभयपुरा तहसील नांगल राजावतान ... प्रार्थीगण

बनाम

1. देव्या उर्फ देवीराम पुत्र भोंरया
2. पांच्या उर्फ पांचूराम पुत्र रूगनाथ

जाति मीना निवासी अभयपुरा तहसील नागल राजावतान

3. श्री गणराज बडगोती, तहसीलदार नांगल राजातवान

अप्रार्थीगण

स्थानांतरण प्रार्थना पत्र रिमाण्ड पत्रावली उनवानी देव्या आदि बनाम भोंरया आदि नामांतरकरण सं0 64 दिनांक 28.5.73 ग्राम अभयपुरा तहसील नांगल राजावतान जो तहसीलदार नांगल राजावतान के यहॉ विचाराधीन है।

उपस्थिति : 1. श्री जगजीवन राम , अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री प्रदीप कुमार विजय, अधिवक्ता अप्रार्थी सं01व 02
3. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

दिनांक: 16.12.2020

–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि नामांतरकरण संख्या 64 दिनांक 25.8.73 उनवानी देव्या आदि बनाम भोंरया आदि जो तहसीलदार नांगल राजावतान के यहां विचाराधीन है। जिसे किसी अन्य सक्षम अधिकारी अथवा तहसीलदार के यहां स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा एक अपील नामांतरकण संख्या 64 के विरूद्ध अपील संख्या 25/13 प्रस्तुत की जबकि विवादित भूमि व उक्त नामांतरकरण से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी गलत तथ्यों पर अपील पेश कर एकतरफा में दिनांक 14.5.2018 को एस0डी0ओ0 नांगल राजावतान से साज कर निर्णय करा लिया व नामांतरकरण को तहसीलदार नांगल राजावतान के यहां रिमांड करने के आदेश पारित करवा लिये। वर्तमान में रिमांड पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान के चल रहा है। तहसीलदार नांगल राजावतान भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मिलकर प्रार्थीगण को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही निर्णय करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं0 1 व 2 को तहसीलदार नांगल राजावतान के आवास व चैम्बर पर मिलते जुलते व बातचीत करते देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भी एलानिया गांव में कहा है कि हमने जिस पगकार एसडीओ नांगल से एकतरफा में नामांतरकरण का आदेश करवा लिया है, वैसे ही हमारी तहसीलदार से बात हो गई है व तहसीलदार से भी हमारे ही पक्ष में निर्णय करवायेंगे व तुम्हारी खातेदारी समाप्त कराके ही रहेंगे। इस प्रकार प्रार्थीगण को तहसीलदार नांगल राजावतान से न्याय की कोई आशा नहीं है। वे निष्पक्ष रूप से कार्यवाही नहीं कर रहे है व अवैध तरीके से निर्णय करने पर आमादा है। उक्त परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए पत्रावली नामांतरकरण संख्या 64 दिनांक 28.5.73 उनवानी देव्या आदि बनाम भोंरया आदि को तहसीलदार नांगल राजावतान से किसी अन्य सक्षम अधिकारी अथवा तहसीलदार के यहां स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब बहस मे निवेदन किया गया है कि उनवानी स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र तहसीलदार नांगल राजावतान के पीठासीन अधिकारी श्री गणराज बडगोती बाबत प्रस्तुत किया गया है। उक्त पीठासीन अधिकारी को तहसीलदार नांगल राजावतान से स्थानान्तरण हो गया है एवं उक्त स्थान पर अन्य पीठासीन अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसलिए उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र आधारहीन हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी सं0 1 लगायत 3 द्वारा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 व 02 के उक्त तथ्यो से सहमत होना व्यक्त किया गया।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार नांगल राजावतान से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार पक्षकारान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। जिसमें दोनों पक्षों को ही नोटिस जारी किये गये है। स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि बिना सबूत व सुनवाई का मौका दिये ही निर्णय हेतु आमादा है। कथन निराधार बताया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगायत 02 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं पीठासीन अधिकारी श्री गणराज बडगोती तहसीलदार नांगल राजावतान का स्थानान्तरण हो जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन हो जाने से स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार नागल राजावतान में विचाराधीन नामांतरकरण संख्या 64 दिनांक 25.8.73 उनवानी देव्या आदि बनाम भोंरया आदि को न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान से स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नांगल राजावतान को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16 दिसंबर, 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official